206

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 494—तीन/2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 26—03—2008 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 446/अपील/2006—07

.....

1— बृजवासी पिता सरजू पटेल

2— बृजनन्दन पिता सरजू पटेल

निवासीगण—ग्राम उमरी तहसील रायपुर कर्चुलियान

जिला—रीवा(म0प्र0)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1— गणेश पिता गयादीन पटेल

2— मिथिला पिता गयादीन पटेल

3— केमला पिता गयादीन पटेल

4— जगदीश पिता गयादीन पटेल

5— श्यामलाल तनय रामशरण पटेल

6— मंगल तनय रामगरीब पटेल

7— बृजनन्दन तनय रामगरीब पटेल

8— सूर्यभान तनय रामगरीब पटेल

निवासीगण— ग्राम उमरी तहसील रायपुर कर्चुलियान

जिला—रीवा(म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0एल0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 28-9-17 को पारित)

यह निगरानी, न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–03–2008 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षेप तथ्य यह है कि आवेदकगण द्वारा ग्राम उमरी की प्रश्नाधीन भूमि आराजी क्रमांक 67/3क रकबा 3.21 एकड़ के बटवारा नामांतरण हेतु संहिता की धारा 178, 109–110 के अंतर्गत आवेदन पत्र तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान ने 07.08.2006 से आवेदकगण के पक्ष में बटवारा नामांतरण स्वीकार किया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 27.12.2006 से विचारण न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा है तथा अपील निरस्त की है। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत किया है। अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 446/अपील/2006–07 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 26.03.2008 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को निरस्त किया है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि अनावेदकगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने एवं संहिता की धारा 178 में बने प्रावधान के अनुसार विधिवत सुनवाई करते हुये गुण–दोष पर आदेश पारित करें। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में निष्कर्ष निकाला है कि

तहसीलदार ने संहिता की धारा 178 के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय से स्वत्व के निराकरण हेतु कार्यवाही हेतु तीन माह के लिये कार्यवाही स्थगित नहीं की है, जबकि पटवारी प्रतिवेदन से स्वत्व विवाद निर्मित होना स्पष्ट है। इसी कारण अपर आयुक्त ने विचारण न्यायालय आदेश को एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बने नियमों का पालन करते हुये उभयपक्ष की सुनवाई पश्चात गुण–दोष पर आदेश पारित किया जाये। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। जहॉ तक उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा उठाये गये इस तर्क के प्रश्न है कि व्यवहार न्यायालय से इस मामले का निराकरण हो गया है। जैसा कि उभयपक्ष द्वारा इस न्यायालय को अवगत कराया गया है कि व्यवहार न्यायालय से स्वत्व का निराकरण हो गया है तो ऐसी स्थिति में उभयपक्ष, तहसीलदार के समक्ष व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत कर कार्यवाही कराने के लिये स्वतंत्र हैं। दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में प्रकट नहीं होता ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–03–2008 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर